न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 8/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खां, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर।

........**प्रार्थी**

बनाम

श्री कमल सिन्धी पुत्र श्री नरेश सिन्धी
रूकमणी कॉलोनी, बादनवाडा पुलिस थाना भिनाय

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री उत्तम गुरूबक्षानी – अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 22.03.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2022 को श्री अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर को दूरभाष से अवैध रूप से गैस रीफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर हमराह श्री खान मोहम्मद खां, प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा श्री कमल सिंन्धी पुत्र श्री नरेश सिंन्धी निवासी रूकमणी कॉलोनी बादनवाडा स्थित गोदाम पर पहुँच कर जांच करने पर पाया गया कि श्री मौके पर श्री कमल सिन्धी उपस्थित मिले। मौके पर ही जरिये दो साक्षियो श्री गोविन्द परिहार व श्री चेतन देव को बुलाकर उनके समक्ष गोदाम की जांच की गई। श्री कमल सिन्धी के गोदाम में तीन घरेलू सिलेण्डर मय 12.5 मिलो एलपीजी गैस, एक रीफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर मय रीफलिंग पाई व वाल्व भण्डारित पाये गये। उक्त बाबत श्री कमल सिन्धी से पूछने पर उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया । उक्त तीन घरेलू सिलेण्डर मय 12.5 किलो एलपीजी गैस, एक रीफलिंग इलेक्ट्रिक मोटर मय रीफलिंग पाईप व वाल्व के बाबत कोई लिखित दस्तावेज श्री कमल सिन्धी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया । गोदोम पर पाये गये गैस सिलेण्डर निम्न है :–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	650615E	BPCL	15.8	24.2	8.4	Domestic Cylinder
2	273251S	BPCL	15.9	20	4.1	Domestic Cylinder

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

3	43824T	Reliance	15.9			Domestic Cylinder

एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानो के उल्लंघन पर श्री कमल सिन्धी से तीन घरलू एलपीजी सिलेण्डर मय 12.5 किलो एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर मय रींफलिग पाईप व वाल्व कब्जेराज किया जाकर नन्दहरि भारत गैस एजेन्सी बादवाडा के प्रोपराईटर श्री गोविन्द परिहार सुरक्षा एवं साक्ष्य हेतु सुपुर्द किया गया । अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(सी), 4 (1) क, 6 का स्पष्ट उल्लघंन है जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर मय रीफलिंग पाईप व वाल्व को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.01.2022 को जांच दौरान श्री कमल सिन्धी के गोदाम में तीन घरेलू सिलेण्डर मय 12.5 मिलो एलपीजी गैस, एक रीफलिंग इलेक्ट्रिक मोटर मय रीफलिंग पाई व वाल्व भण्डारित पाये गये। अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(सी), 4 (1) क, 6 का स्पष्ट उल्लघंन है जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर मय रीफलिंग पाईप व वाल्व को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 25.01.2022 को अप्रार्थी अपने व अपने रिश्तेदारो के घरेलू गैस सिलेन्डरो को रिफलिंग हेतु दुकान पर लाया था तथा उस समय जिला रसद कार्यालय के कुछ अधिकारीगण आ गये जिनको अपनी सारी स्थिति बताकर निवेदन किया कि वे इनको गैस एजेन्सी के पास ले जाकर रिफिलिंग करायेगा और घर ले जायेगा । परन्तु अधिकारीगण नही माने और तीनो सिलेण्डरो को कब्जे में ले लिये । तीन सिलेण्डरो में से एक सिलेन्डर पूर्ण रूप से खाली था और दो में मात्र 4 व 8 किलो गैस थी जिनको घर वालों ने खाली मानकर रिफिलिंग के लिये दिये। अतः प्रार्थी और उनके रिश्तेदारो को सिलेण्डर वापस करने के लिये अप्रार्थी को लौटाने के आदेश फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। श्री कमल सिन्धी के गोदाम में तीन घरेलू सिलेण्डर मय 12.5 मिलो एलपीजी गैस, एक रीफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर मय रीफलिंग पाई व वाल्व भण्डारित पाये गये। अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(सी), 4 (1) क, 6 का स्पष्ट उल्लघंन है जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.01.2022 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये कब्जेराज लिये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर मय रीफलिंग पाईप व वाल्व को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व मे जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर